



AIJMC

to empower the Community

अखिल भारतीय
जैन मायनोरिटी सेल

• शाखा मान्यता आवेदन-पत्र •

सेवा में,

श्री

मा. राष्ट्रीय अध्यक्ष,

..... अखिल भारतीय जैन मायनोरिटी सेल

..... ।

प्रिय महोदय,

सूचनार्थ है कि शहर/नगर/ग्राम में दिनांक

को के प्रयासों से स्थानीय जैन समाज की सभा आयोजित हुई, जिसमें स्थानीय स्तर पर अखिल भारतीय जैन मायनोरिटी सेल की शाखा गठित करने का निर्णय लिया गया। निम्न हस्ताक्षरकर्ता इस प्रस्तावित शाखा के संस्थापक सदस्य होना स्वीकार करते हैं एवं अखिल भारतीय जैन मायनोरिटी सेल के उद्देश्यों एवं संविधान में पूर्ण आस्था व्यक्त करते हुए इनकी परिपालना का वचन देते हैं।

शाखा को प्रारंभिक नेतृत्व प्रदान करने हेतु(शब्दों में) सदस्यों की कार्यकारिणी समिती का गठन किया गया, जिनके नाम, पद एवं पते आवेदन-पत्र के पिछले पृष्ठ पर दिये गये हैं।

सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क रु. (शब्दों में) एवं वार्षिक सदस्यता शुल्क रु. निर्धारित किया गया।

अखिल भारतीय जैन मायनोरिटी सेल की राष्ट्रीय सभा द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय शुल्क रु. ५००/- (पाँच सौ) प्रति सदस्य के हिसाब से कुलसदस्यों का रुपये(.....(शब्दों में) तथा पंजीकरण (मान्यता)

शुल्क रुपये ५००/- (पाँच सौ) कुल मिलाकर रुपये(.....(शब्दों में) का भुगतान संलग्न

बैंक ड्राफ्ट नं./ नगद दिनांक. बैंक

..... खाता क्रं. वर्ष

..... के लिए किया जाता है।

(राष्ट्रीय शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क कि बैंक जमा पर्ची की कॉपी आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें)

अनुरोध है कि उपरोक्त रूपेण गठित शाखा को अखिल भारतीय जैन मायनोरिटी सेल की अधिकृत शाखा के रूप में मान्यता प्रदान करें

• भवदीय •

क्र.	नाम	पता
१		
२		
३		
४		
५		
६		
७		
८		
९		
१०		
११		
१२		
१३		
१४		
१५		
१६		
१७		
१८		
१९		
२०		
२१		

नोट : १. हस्ताक्षरकर्ता कृपया अपना पूरा नाम एवं पता लिखते हुए हस्ताक्षर करें । २. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पन्ने का प्रयोग करें ।

● शाखा मान्यता आवेदन -पत्र भरने संबंधी आवश्यक जानकारियां

- शाखा मान्यता आवेदन पत्र पर न्यूनतम 21 (इक्कीस) सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। मान्यता आवेदन पत्र, राष्ट्रीय व पंजीकरण शुल्क के ड्राफ्ट के साथ रजिस्टर्ड डाक से राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजें।
- शाखा सदस्यता हेतु न्यूनतम प्रवेश शुल्क एवं वार्षिक शुल्क राष्ट्रीय सभा द्वारा निश्चित किया जात है। शाखा गठित करने वाले युवा यदि चाहें तो स्थानीय प्रवेश शुल्क एवं वार्षिक शुल्क की राशि बढ़कर भी निश्चित कर सकते हैं, परंतु उपरोक्त से कम नहीं की जा सकती।
- राष्ट्रीय शुल्क एवं पंजीकरण (मान्यता) शुल्क का ड्राफ्ट “ अखिल भारतीय जैन मायनोरिटी सेल ” के नाम से कोल्हापूर का बनवाएं।
- शाखा की कार्यकारिणी समिती में न्यूनतम 11 या कुल साधारण सदस्य संख्या का ५० प्रतिशत, जो भी कम हो, एवं अधिकतम 25 सदस्य हो सकते हैं। अतः कार्यकारिणी समिति में कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण प्रस्तावित शाखा के गठन हेतु उपस्थित युवाओं को करना होगा।
- सभा में उपस्थित युवकों को अखिल भारतीय जैन मायनोरिटी सेल के मुख्य एवं सहायक उद्देश्य बताए जाने चाहिये। शाखा नियमावली में ये उद्देश्य धारा ३ के अंतर्गत दिए हुए हैं।
- आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले युवाओं को अपना नाम एवं पत्र व्यवहार का पता साफ -साफ लिखने हेतु निवेदन किया जाये ताकि सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यालय कि डाक सूची में उनका पता दर्ज किया जा सके तथा साक्ष्य के रूप में जन्म तिथि प्रमाणपत्र की कापी अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
- प्रस्तावित संगठन का नाम निम्न प्रकार होगा : अखिल भारतीय जैन मायनोरिटी सेल (नगर/ग्राम का नाम) शाखा जैसे : अखिल भारतीय जैन मायनोरिटी सेल, कोल्हापूर शाखा
- मान्यता मिलने के पश्चात् शाखा के लेटर हैड, बैनर आदि पर अखिल भारतीय जैन मायनोरिटी सेल के प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। स्थानीय स्तर पर अन्यरूपेण प्रतीक चिन्ह बनाने का अधिकार शाखा को नहीं होगा।

● शाखा मान्यता के बाद समाज से शाखा का परिचय

प्रायः ऐसा देखा गया है कि शाखा गठन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शाखा मान्यता भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन स्थानीय क्षेत्र के लोगों को शाखा के गठन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, जिससे शाखा पदाधिकारियों को अखिल भारतीय जैन मायनोरिटी सेल के कार्यों के सम्पादन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आवश्यक है कि जब किसी शाखा को मान्यता से संबंधित कागजात प्राप्त हो उसके बाद शीघ्र ही शाखा की स्थापना से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों को आमंत्रित किया जाये। इस कार्यक्रम में प्रांत की ओर से किसी सक्षम पदाधिकारियों को भेजा जाना चाहिए, जो अखिल भारतीय जैन मायनोरिटी सेल के गठन, स्वरूप, उद्देश्य एवं कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारियाँ तो दे ही, साथ नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को कार्य संचालन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान करें। इसी समारोह में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शाखा मान्यता से संबंधित कागजात प्रांतीय पदाधिकारियों द्वारा देने चाहिए। इससे शाखा को क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में सुविधा होगी।



अखिल भारतीय जैन मायनोरिटी सेल ALL INDIA JAIN MAINORITY CELL to empower the Community

राष्ट्रीय कार्यालय : दिल्ली

● अध्यक्षीय कार्यालय ●

‘बिज्ञनेस हाऊस’, १६७७, ई, मेन रोड, राजारामपुरी १० वी गली, कोल्हापूर - ४१६००८ (महाराष्ट्र)

फोन नं. ०२३१ - २५२५२५१, फॅक्स : ०२३१ - २५२२२०१